

| क्र. सं. | दिनांक आज्ञा या कार्यवाही | आज्ञा विस्तृत रूप से |
|----------------------------------|---------------------------|---|
| 20 ⁵ / ₂₂ | | <p>पत्रावली में कार्य का को पेश हो।</p> <p>8/7/22 पत्रावली पेश हुई। PO साहय दौर/ अन्य कार्य में के कारण कार्यवाही नहीं। पत्रावली दिनांक 26/8/22 को पेश हो।</p> |
| 26 ⁸ / ₂₂ | | <p>पत्रावली पेश हुई। वही पत्रावली उपस्थित है। 26 को पेश किया गया। पत्रावली को पेश हो।</p> <p>30/8/22 पत्रावली पेश हुई। PO साहय दौर/ अन्य कार्य में के कारण कार्यवाही नहीं। पत्रावली दिनांक 13/9/22 को पेश हो।</p> |
| 13 ⁹ / ₂₂ | | <p>पत्रावली पेश हुई। वही पत्रावली उपस्थित है। पत्रावली को पेश हो।</p> |
| 11 ¹¹ / ₂₂ | | <p>पत्रावली पेश हुई। वही पत्रावली उपस्थित है। पत्रावली को पेश हो।</p> |

फर्द अहकाम 2018/00/20

लय

सहायक कलेक्टर बस्ती जिला जयपुर

शांति

बनाम

एगुती

संख्या/वर्ष

24/18

/20

| दिनांक आज्ञा या कार्यवाही | आज्ञा विस्तृत रूप से | विशेष विवरण |
|---------------------------|---|-------------|
| | <p>उक्त इतिवृत्तों का अवलोकन एवं वहील पंजीकरण द्वारा उक्त प्रवेश का पटल जारी करने पर इनत व्यक्तिके पंजीकरण वाद प्राप्त आवजी ख. नं. 52, 53 से 55, 84, 118, 119 कुल जिला 13 कुल खसका 7 कीछा 11 खिसा तथा खता सं. 6 के ख. नं. 63/1 से 63/9 कुल जिला 9 कुल खसका 8 कीछा 5 खिसा तथा खता सं. 9 के ख. नं. 119/1, 119/10, 119/2 से 119/9 कुल जिला 10 कुल खसका 6 कीछा 7 खिसा खता सं. 10 के ख. नं. 62 खसका 5 खिसा, खता सं. 190 के ख. नं. 721, 722 कुल जिला 2 कुल खसका 10 कीछा 3 खिसा तथा खता सं. 54 के ख. नं. 95/4, 95/5 कुल जिला 2 कुल खसका 6 कीछा 11 खिसा स्थित ग्राम भीवगा तहसील कसौ के सबखसमें प्राची के द्वारा चेतक सम्पत्ति होने का कोड इतिवृत्त अथवा सबुत पेश नहीं होने से प्रपन्न हुयारा मामला प्राची के पक्ष में नहीं बनता है। तथा अधिप्राशन दिनांक (कोतवाल नहीं</p> | |

2018/00/26

सहायक कलेक्टर बरसौ जिला जयपुर

शांति बनाय हनुता

| क्र. सं. | दिनांक आज्ञा या कार्यवाही | आज्ञा विस्तृत रूप से |
|----------|---------------------------|---|
| | 22/18 | <p>दोनों से मुक्ति का अनुभव परिष्कार के पक्ष में न होकर अपराधीगण के पक्ष में है एवं अपराधी शक्ति में परिष्कार के न होकर अपराधीगण को होगी। उपरोक्त विवेचना के आधार पर उक्त वाद उच्च न्याय में सम्बन्ध में परिष्कार का अवकाश पर अपराधी निषेधाज्ञा अस्मात् न्याय खातिर किया जाता है। परन्तु पीसले थुमा होकर न होकर से न होकर वाद न्याय में इच्छित नफा है।</p> <p style="text-align: right;">(36)</p> <p style="text-align: right;">सहायक कलेक्टर बरसौ जिला जयपुर</p> |

